

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 24.4.2019 थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा।

थाना जगदीशपुरा पुलिस ने OLX पर ठगी करने वाले दो शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

जनपद आगरा में OLX से सम्बंधित धोखाधड़ी/लूट जैसी गम्भीर घटनाओं पर अंकुर लगाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल नेतृत्व में एवं क्षेत्राधिकारी लोहामण्डी के सफल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा को टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देशित किया गया।

इसी क्रम में गठित टीम द्वारा दिनांक 23.04.2019 को लड़ामदा मोड़ के पास चैकिंग अभियान के दौरान मुखविर खास ने सूचना दी कि OLX पर झूठा विज्ञापन देकर लोगों के साथ ठगी करने वाले 2 अभियुक्तों जो कि कहीं जाने की फिराक में हैं, अगर जल्दी की जाए तो गिरफ्तार किये जा सकते हैं। मुखविर द्वारा बताये गये स्थान पर एक वारगी दविश देकर पुलिस टीम ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। ठगी से सम्बंधित थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा पर पूर्व में मु.अ.सं. 149/2019 धारा 392 भा.द.वि. पंजीकृत किया गया।

● गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण :-

1. जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र साहव सिंह निवासी वसईया राजपूत थाना अछनेरा जनपद आगरा।
2. वलवीर पुत्र विजेन्द्र सिंह ठाकुर निवासी ग्राम साँधन थाना अछनेरा जनपद आगरा।

● फरार अभियुक्तगण का विवरण :-

1. अजीत पुत्र बाबू निवासी इगराला थाना शेरगढ़ जनपद मथुरा।
2. धमेन्द्र निवासी तसई कुम्हेर जनपद भरतपुर राजस्थान।
3. वकील नाम पता अज्ञात।

● बरामदगी का विवरण :-

1. रू० 48,000/-नकद सम्बंधित मु.अ.सं. 149/2019 धारा 392/411 भा.द.वि. थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा।

● आपराधिक इतिहास का विवरण :-

1. मु०अ०सं० 149/2019 धारा 392/411 भा०द०वि० थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा।

● गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण :-

1. प्रभारी निरीक्षक प्रवेश कुमार थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा।
2. उ.नि. नील कमल चौकी प्रभारी विचपुरी थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा।
3. है.का. 79 फैरू सिंह, है.का. 357 रनवीर सिंह थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा।



मीडिया सेल आगरा पुलिस।